न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : धारा सिंह मीना, RAS

अपील संख्या 67 / 2011

1 जीवणसिंह पुत्र केसरसिंह।
2 मोतीसिंह पुत्र केसरसिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण दादली तहसील व जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 दयाल सिंह पुत्र बचनसिंह।
2 श्रीमती प्रेम कंवर पुत्री बचनसिंह।
3 श्रीमती ओमकंवर पुत्री बचनसिंह।
4 श्रीमती मैना कंवर पुत्री बचनसिंह।
5 श्रीमती चान्द कंवर पुत्री बचनसिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण दादली तहसील व जिला सीकर।
6 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सीकर।
7 भागीरथ सिंह पुत्र केसरसिंह।
8 गोलूसिंह उर्फ दुर्जन सिंह पुत्र केसरसिंह (फौत)।
8/1 सोन कंवर पत्नी गोलूसिंह उर्फ दुर्जनसिंह।
8/2 सूरजभान सिंह पुत्र गोलूसिंह उर्फ दुर्जनसिंह।
8/3 सरोज कंवर पुत्री गोलूसिंह उर्फ दुर्जनसिंह।
8/4 सुरेन्द्र सिंह पुत्र गोलूसिंह उर्फ दुर्जनसिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण दादली तहसील व जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील विरूद्व निर्णय दिनांकित 19.05.2011 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर बउनवानी बचनसिंह बनाम जीवणसिंह आदि राजस्व वाद संख्या 227/1996 दावा बाबत उद्घोषणा स्थाई निषेधाज्ञा व दुरूस्ती इन्द्राजात अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

उपस्थिति :

1. श्री सोहनलाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री बजरंग सिंह शेखावत, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 16.11.2022

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 227/1996 में पारित निर्णय दिनांक 19.05.2011 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 5 के पिता बचनसिंह ने एक दावा अपीलार्थीगण व रेस्पोडेंट संख्या 7 व 8 एवं उनकी माता श्रीमती चन्द्रबाई के विरूद्व ग्राम चैनपुरा तहसील व जिला सीकर के अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 298 रकबा 0.80 हैक्टेयर जिसके पुराने खसरा नम्बर 278 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा थे उक्त भूमि को पैतृक संयुक्त कब्जा काश्त की बताकर दावा पेश किया था जिसमें विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 19.05.2011 को उक्त चुनौतीग्रस्त निर्णय पारित किया जाकर रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 5 के पिता वादी बचनसिंह को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में वादी द्वारा विवादित भूमि को पैतृक बताकर 1/2 हिस्से की उद्घोषणा चाही गई थी। विचारण न्यायालय में अपीलांट ने जवाब दावा प्रस्तुत कर विवादित भूमि पैतृक नही होकर स्वअर्जित होने का कथन किया है। वादी के पिता की मृत्यु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने के पूर्व हो गई थी। विवादित भूमि पैतृक नही है। जवाब दावे के विशेष कथन में अंकित किया है कि विवादित भूमि केसर सिंह की स्व अर्जित सम्पदा है। विचारण न्यायालय ने विशेष कथन में अंकित कथनों पर तनकी कायम नही की है। विचारण न्यायालय में वादी ने पी.एन.बी. बैंक को पक्षकार नही बनाया है जबकि विवादित भूमि बैंक के रहन थी। विचारण न्यायालय मे स्वतंत्र गवाह उपस्थित नही हुआ है। विचारण न्यायालय ने आदेश 20 नियम 5 की पालना किये बिना प्रतिकुल कब्जे के आधार पर निर्णय पारित कर विधिक भूल की है। खसरा गिरदावरी के आधार पर खातेदारी प्रदान नही की जा सकती है। विचारण न्यायालय के समक्ष लगान अदा करने का कोई उल्लेख नही आया है। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय में साक्ष्य का विवेचन किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनो के समर्थन में आर.आर.डी. 1997 पेज 606, आर.एल.डब्ल्यू 2007(2) पेज 1040, आर.आर.डी. 1993 पेज 124,आर.आर.डी. 2019 पेज 148, आर.आर.डी. 1998 पेज 44 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने का निवेदन किया है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में झुंझजी के पुत्र बचनसिंह द्वारा ग्राम चैनपुरा तहसील व जिला सीकर की भूमि खसरा नम्बर 298,278 मे पैतृक भूमि होने के आधार पर 1/2 हिस्से की खातेदारी का अनुतोष चाहा है। विचारण न्यायालय ने प्रतिवादीगण के जवाब दावे के आधार पर तनकीयात कायम की गई है। विचारण न्यायालय मे वादी रेस्पोडेंट ने प्रदर्श 4 खसरा गिरदावरी संवत 2011 से 2033 प्रस्तुत की है। इस

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

गिरदावरी के कॉलम संख्या 5 प्रविष्टियों सहित खातेदार/गैर खातेदार का नाम में केसर सिंह व बचनसिंह पिसरान झुंझजी जाति राजपूत साकिन दादली हिस्सा बराबर का अंकन है। विवादित भूमि केसर सिंह को जागिरदार से प्राप्त हुई हो, धारा 19 में खातेदारी प्राप्त हुई हो ऐसा कोई साक्ष्य विचारण न्यायालय अथवा अपील न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नही किया गया है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत प्रदर्श 4 के खातेदारी एवं काश्तकारी के अंकन से विवादित भूमि पैतृक होना एवं विवादित भूमि में वादी का 1/2 हक हिस्सा होना एवं कब्जा काश्त होना भलीभांति साबित है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने वाद वादी स्वीकार कर डिक्री करने में कोई विधिक त्रुटि नही की है। अपील सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में झुंझजी के पुत्र बचनसिंह द्वारा ग्राम चैनपुरा तहसील व जिला सीकर की भूमि खसरा नम्बर 298,278 मे पैतृक भूमि होने के आधार पर 1/2 हिस्से की खातेदारी का अनुतोष चाहा है। विचारण न्यायालय ने प्रतिवादीगण के जवाब दावे के आधार पर तनकीयात कायम की गई है। विचारण न्यायालय मे वादी रेस्पोडेंट ने प्रदर्श 4 खसरा गिरदावरी संवत 2011 से 2033 प्रस्तुत की है। इस गिरदावरी के कॉलम संख्या 5 प्रविष्टियों सहित खातेदार/गैर खातेदार का नाम में केसर सिंह व बचनसिंह पिसरान झुंझजी जाति राजपूत साकिन दादली हिस्सा बराबर का अंकन है। विवादित भूमि केसर सिंह को जागिरदार से प्राप्त हुई हो, धारा 19 में खातेदारी प्राप्त हुई हो ऐसा कोई साक्ष्य विचारण न्यायालय अथवा अपील न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नही किया गया है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत प्रदर्श 4 के खातेदारी एवं काश्तकारी के अंकन से विवादित भूमि पैतृक होना एवं विवादित भूमि में वादी का 1/2 हक हिस्सा होना एवं कब्जा काश्त होना भलीभांति साबित है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने वाद वादी स्वीकार कर डिक्री करने में कोई विधिक त्रुटि

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधि
सीकर

नही की है। विचारण न्यायालय ने पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य का विवेचन कर विधि सम्मत रूप से विचाराधीन निर्णय व डिक्री पारित किया है। इसमें हम कोई विधिक त्रुटि नही पाते है। अत इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 16.11.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(धाय सिंह मीना)
भूप्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर